



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 29, 2019/श्रावण 7, 1941

No. 276]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 29, 2019/SHRAVANA 7, 1941

## भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

### अधिसूचना

मुम्बई, 29 जुलाई, 2019

## भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

### [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2019

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/28.—बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 31 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11, धारा 11क की उप-धारा (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2019 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में,-
  - I. विनियम 17 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ग) के स्पष्टीकरण के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-
 

“(घ) जहाँ सूचीबद्ध (लिस्टिंग) कंपनी के बकाया एसआर इक्विटी शेयर हों, वहाँ निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) में कम से कम आधे निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे।”
  - II. विनियम 18 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ख) में, शब्दों “स्वतंत्र निदेशक होंगे” के पश्चात् तथा चिह्न “।” से पूर्व, चिह्न और शब्द “, और बकाया एसआर इक्विटी शेयरों वाली सूचीबद्ध (लिस्टिंग) एंटीटी के मामले में लेखापरीक्षा समिति में केवल स्वतंत्र निदेशक ही होंगे” अंतःस्थापित किए जाएंगे।

- III. विनियम 19 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ग) में, शब्दों “स्वतंत्र निदेशक होंगे” के पश्चात् तथा चिह्न “।” से पूर्व, चिह्न और शब्द “, और बकाया एसआर इक्विटी शेयरों वाली सूचीबद्ध (लिस्टिंग) एंटीटी के मामले में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे” अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- IV. विनियम 20 में, उप-विनियम (2क) में, शब्दों “समिति के सदस्य होंगे” के पश्चात् तथा चिह्न “।” से पूर्व, चिह्न और शब्द “, और बकाया एसआर इक्विटी शेयरों वाली सूचीबद्ध (लिस्टिंग) एंटीटी के मामले में हितधारक संबंध समिति में कम से कम दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे” अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- V. विनियम 21 में, उप-विनियम (2) में, शब्दों “निदेशक बोर्ड के सदस्य होंगे” के पश्चात् तथा चिह्न “।” से पूर्व, चिह्न और शब्द “, और बकाया एसआर इक्विटी शेयरों वाली सूचीबद्ध (लिस्टिंग) एंटीटी के मामले में जोखिम प्रबंधन समिति में कम से कम दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे” अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- VI. विनियम 41 में, उप-विनियम (3) निम्नलिखित उप-विनियम से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(3) सूचीबद्ध (लिस्टिंग) एंटीटी ऐसे किसी भी तरीके से शेयर निर्गमित (इश्यू) नहीं करेगी, जिससे किसी व्यक्ति को पहले से ही सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों की बाबत मिलने वाले अधिकारों की तुलना में लाभांश के संबंध में उच्चतर या निम्नतर अधिकार मिल जाएं अथवा पहले से ही सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों की बाबत मिलने वाले अधिकारों की तुलना में निम्नतर मताधिकार मिल जाएं:

परंतु यह कि जिस सूचीबद्ध (लिस्टिंग) एंटीटी ने अपने संप्रवर्तकों (प्रमोटर्स) / संस्थापकों (फाउंडर्स) को एसआर इक्विटी शेयर निर्गमित (इश्यू) किए हों, वह अपने एसआर शेयरधारकों को एसआर इक्विटी शेयर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार केवल बोनस, विभाजन (स्प्लिट) या साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू) के जरिए ही निर्गमित (इश्यू) कर सकेगी।”

- VII. विनियम 41 के पश्चात् तथा विनियम 42 से पूर्व, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

**“बकाया एसआर इक्विटी शेयरों से संबंधित अन्य प्रावधान**

41क. (1) एसआर इक्विटी शेयर हर प्रकार से [लाभांशों (डिविडेंड) के मामले में भी] साधारण इक्विटी शेयरों के समान माने जाएंगे [किंतु यह संकल्पों (रेज़्योल्यूशन्स) के संबंध में किए जाने वाले मतदान के मामले में लागू नहीं होगा]।

(2) आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के अनुसरण में, सूचीबद्ध (लिस्टिंग) हो जाने पर, निर्गमकर्ता (इश्युअर) में एसआर शेयरधारकों के कुल मताधिकार (साधारण शेयरों सहित) किसी भी समय चौहत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(3) एसआर इक्विटी शेयरों को मताधिकारों के लिहाज से, निम्नलिखित परिस्थितियों में, साधारण इक्विटी शेयर माना जाएगा (अर्थात् एक एसआर शेयर की बाबत केवल एक मत देने का अधिकार होगा) —

- स्वतंत्र निदेशकों और/या लेखापरीक्षक (ऑडिटर) की नियुक्त करना या उन्हें हटाना;
- जहाँ संप्रवर्तक (प्रमोटर) किसी दूसरी एंटीटी को स्वेच्छा से नियंत्रण (कंट्रोल) अंतरित (ट्रांसफर) कर रहा हो;
- जहाँ इन विनियमों के अनुसार किए जाने वाले संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों (रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन्स) में एसआर शेयरधारक शामिल हो;
- सूचीबद्ध (लिस्टिंग) एंटीटी का स्वैच्छिक परिसमापन (वाइडिंग अप);
- सूचीबद्ध (लिस्टिंग) एंटीटी के संगम अनुच्छेद (आर्टिकल ऑफ असोसिएशन) या संगम ज्ञापन (मैमोरेन्डम ऑफ असोसिएशन) में बदलाव (किंतु इनमें ऐसा कोई बदलाव शामिल नहीं है जिससे एसआर इक्विटी शेयर पर असर पड़ रहा हो);
- दिवाला संहिता (इन्सॉल्वेंसी कोड) के तहत स्वैच्छिक समाधान प्रक्रिया (रेज़्योल्यूशन प्रोसेस) शुरू करना;
- कारोबार (कारबार) से भिन्न प्रयोजनों हेतु पैसों (निधियों / फंड्स) का इस्तेमाल करना;
- काफी बड़े मूल्य के लेनदेन (संव्यवहार / ट्रांजैक्शन) करना [इन विनियमों के तहत यथा-निर्धारित महत्ता की सीमा-रेखा (श्रेशहोल्ड) के आधार पर];

- ix. शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) या शेयरों को क्रय द्वारा वापस लेने (का बाय-बैक करने) के संबंध में विशेष संकल्प पारित करना; और
- x. अन्य परिस्थितियाँ या मामले, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।

(4) सूचीबद्ध (लिस्टिंग) एंटीटी के साधारण शेयरों की सूचीबद्धता (लिस्टिंग) के पाँच वर्ष पूरे होने पर, एसआर इक्विटी शेयरों को ऐसे इक्विटी शेयरों में बदला (संपरिवर्तित किया) जाएगा जिनकी बाबत मिलने वाले मताधिकार साधारण शेयरों की बाबत मिलने वाले मताधिकारों के समान हों:

परंतु यह कि एसआर इक्विटी शेयर अतिरिक्त पाँच वर्षों तक मान्य रह सकेंगे, बशर्ते कि इस आशय का संकल्प पारित कर दिया गया हो, जहाँ एसआर शेयरधारकों को मतदान करने की अनुमति न हो:

परंतु यह और कि एसआर शेयरधारक, इस उप-विनियम में यथा-निर्धारित अवधि से पहले किसी भी समय, अपने एसआर इक्विटी शेयरों को साधारण इक्विटी शेयरों में बदल (संपरिवर्तित कर) सकेंगे।

(5) नीचे जिन घटनाओं का उल्लेख है उनमें से किसी घटना के घटित होने पर, एसआर इक्विटी शेयरों को अनिवार्य रूप से ऐसे इक्विटी शेयरों में बदला (संपरिवर्तित किया) जाएगा जिनकी बाबत मिलने वाले मताधिकार साधारण शेयरों की बाबत मिलने वाले मताधिकारों के समान हों -

- ऐसे शेयरों को धारण करने वाले संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों) या संस्थापक (फाउंडर) की मृत्यु हो जाने पर;
- एसआर शेयरधारक द्वारा सूचीबद्ध (लिस्टिंग) एंटीटी में बड़े पद (एग्ज़िक्यूटिव पोजीशन) से त्यागपत्र दिए जाने पर;
- एसआर शेयरधारक / शेयरधारकों वाली सूचीबद्ध एंटीटी का विलय (मर्जर) या अर्जन हो जाने पर, जहाँ नियंत्रण (कंट्रोल) एसआर शेयरधारक / शेयरधारकों के हाथों में न रह जाए;
- ऐसे एसआर शेयरधारक द्वारा एसआर इक्विटी शेयरों की बिक्री किए जाने पर, जो अवरुद्धता (लॉक-इन) की अवधि के बाद किंतु ऐसे एसआर इक्विटी शेयरों की मान्यता समाप्त होने से पहले ऐसे शेयरों का धारक बना रहा हो।”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./165/19]

#### पाद टिप्पण :

- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/013, 2 सितम्बर 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 तत्पश्चात् :
  - 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/027, द्वारा
  - 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/001, द्वारा

- (ग) 8 जुलाई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/008, द्वारा
- (घ) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/025, द्वारा
- (ङ) 15 फरवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/29, द्वारा
- (च) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 [तारीख 29 मार्च, 2017 को अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित], द्वारा
- (छ) 9 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. एसईवीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/10, द्वारा
- (ज) 30 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/13, द्वारा
- (झ) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/21, द्वारा
- (ञ) 8 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/24, द्वारा
- (ट) 6 सितम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/30, द्वारा
- (ठ) 16 नवम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/47, द्वारा
- (ड) 29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/07, द्वारा
- (ढ) 7 मई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/12, द्वारा
- (ण) 27 जून, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/22, द्वारा

संशोधित हुए थे।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA  
NOTIFICATION**

Mumbai, the 29th July, 2019

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND  
DISCLOSURE REQUIREMENTS) (FOURTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2019**

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/28.**—In exercise of the powers conferred by section 11, sub-section (2) of section 11A and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, namely,—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2019.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,—
  - I. in regulation 17, in sub-regulation (1), after the explanation to clause (c), the following clause shall be inserted, namely,—
 

“(d) where the listed company has outstanding SR equity shares, atleast half of the board of directors shall comprise of independent directors.”
  - II. in regulation 18, in sub-regulation (1), in clause (b), after the words “independent directors” and before the symbol “.”, the words “and in case of a listed entity having outstanding SR equity shares, the audit committee shall only comprise of independent directors”, shall be inserted.
  - III. in regulation 19, in sub-regulation (1), in clause (c), after the words “independent directors” and before the symbol “.”, the words, numerals and symbol “and in case of a listed entity having outstanding SR equity shares, two thirds of the nomination and remuneration committee shall comprise of independent directors”, shall be inserted.
  - IV. in regulation 20, in sub-regulation 2A, after the words “members of the Committee” and before the symbol “.”, the words, numerals and symbol “and in case of a listed entity having outstanding SR equity shares, at least two thirds of the Stakeholders Relationship Committee shall comprise of independent directors”, shall be inserted.
  - V. in regulation 21, in sub-regulation (2), after the words “members of the board of directors” and before the symbol “.”, the words, numerals and symbol “and in case of a listed entity having outstanding SR equity shares, at least two thirds of the Risk Management Committee shall comprise of independent directors” shall be inserted.
  - VI. in regulation 41, sub-regulation (3) shall be substituted with the following sub-regulation, namely,—
 

“(3) The listed entity shall not issue shares in any manner that may confer on any person; superior or inferior rights as to dividend vis-à-vis the rights on equity shares that are already listed or inferior voting rights vis-à-vis the rights on equity shares that are already listed:

Provided that, a listed entity having SR equity shares issued to its promoters/ founders, may issue SR equity shares to its SR shareholders only through a bonus, split or rights issue in accordance with the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 and the Companies Act, 2013.”
  - VII. after regulation 41, and before regulation 42, the following regulation shall be inserted, namely, -
 

**“Other provisions relating to outstanding SR equity shares.**

41A(1) The SR equity shares shall be treated at par with the ordinary equity shares in every respect, including dividends, except in the case of voting on resolutions.

(2) The total voting rights of SR shareholders (including ordinary shares) in the issuer upon listing, pursuant to an initial public offer, shall not at any point of time exceed seventy four per cent.

(3) The SR equity shares shall be treated as ordinary equity shares in terms of voting rights (i.e. one SR share shall only have one vote) in the following circumstances -

- i. appointment or removal of independent directors and/or auditor;
- ii. where a promoter is willingly transferring control to another entity;
- iii. related party transactions in terms of these regulations involving an SR shareholder;
- iv. voluntary winding up of the listed entity;
- v. changes to the Articles of Association or Memorandum of Association of the listed entity, except any change affecting the SR equity share;
- vi. initiation of a voluntary resolution process under the Insolvency Code;
- vii. utilization of funds for purposes other than business;
- viii. substantial value transaction based on materiality threshold as specified under these regulations;
- ix. passing of special resolution in respect of delisting or buy-back of shares; and
- x. other circumstances or subject matter as may be specified by the Board, from time to time.

(4) The SR equity shares shall be converted into equity shares having voting rights same as that of ordinary shares on the fifth anniversary of listing of ordinary shares of the listed entity:

Provided that the SR equity shares may be valid for upto an additional five years, after a resolution to that effect has been passed, where the SR shareholders have not been permitted to vote:

Provided further that the SR shareholders may convert their SR equity shares into ordinary equity shares at any time prior to the period as specified in this sub-regulation.

(5) The SR equity shares shall be compulsorily converted into equity shares having voting rights same as that of ordinary shares on the occurrence of any of the following events -

- i. demise of the promoter(s) or founder holding such shares;
- ii. an SR shareholder resigns from the executive position in the listed entity;
- iii. merger or acquisition of the listed entity having SR shareholder/s, where the control would no longer remain with the SR shareholder/s;
- iv. the SR equity shares are sold by an SR shareholder who continues to hold such shares after the lock-in period but prior to the lapse of validity of such SR equity shares.”

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./165/19]

**Footnotes:**

1. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 2<sup>nd</sup> September 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/013.
2. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, were subsequently amended on:
  - a) December 22, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2015 *vide* notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/27.
  - b) May 25, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2016 *vide* notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/001.

- c) July 8, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2016 *vide* notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/008.
- d) January 4, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2016 *vide* notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/025.
- e) February 15, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2017 *vide* notification No. SEBI/LAD/NRO/ GN/ 2016-17/029.
- f) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 *vide* Notification No. LAD-NRO/GN/2016-17/037 read with March 29, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 *vide* notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38.
- g) May 9, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018 *vide* notification SEBI/LAD-NRO/GN/2018/10.
- h) May 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2018 *vide* notification No. SEBI/LAD-NRO/ GN/2018/13.
- i) June 1, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2018 *vide* notification No. SEBI/LAD-NRO/ GN/2018/21.
- j) June 8, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 *vide* notification No. SEBI/LAD-NRO/ GN/2018/24.
- k) September 6, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2018 *vide* notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2018/30.
- l) November 16, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2018 *vide* notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2018/47.
- m) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2019 *vide* notification No. SEBI/LAD- NRO/GN/2019/07.
- n) May 7, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019, *vide* notification No. SEBI/ LAD- NRO/GN/2019/12.
- o) June 27, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2019, *vide* notification No. SEBI/ LAD- NRO/GN/2019/22.